(ग) क्या यह हवाई अड्डे पर सुरक्षा संबंधी लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहीम): (क) लन्दन में हीथ्रो विमानपत्तन पर दिनांक 12-10-1996 को ढाका-दिल्ली-लन्दन सैटर पर प्राचलन कर रही ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान सं० 144 के होल्ड तथा अण्डर कैरिज के सामने बोइंग-747 के नीचे एक एशियाई पुरुष देखा गया था। रिपोर्ट मिली है कि उसने ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान सं० बीए-144 के अण्डर कैरिज में यात्रा की थी। 15-10-1996 को रिचमण्ड सरे में उक्त विमान उड़ान के उड़ान पथ पर ऐसे ही हुलिया के एक और पुरुष का शव मिला था।

(ख) से (घ) इंग्लैंड की स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(ङ) विमान कम्पनियों को विमानपत्तन पर खड़े विमान तक व्यक्तियों की पहुंच पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने की सलाह दे दी गई है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली पर मौजूदा सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा की गई है।

सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा सुविधाओं के दायरे को गैर-सरकारी अस्पतालों तक बढ़ाया जाना

*168. **श्री राम जेठमलानी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में भी प्रदान की जाएं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विस्तारित चिकित्सा सुविधा योजना के अंतर्गत किसी भी गैर-सरकारी अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त करने का प्रावधान होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो यह चिकित्सा सुविधा किन-किन अस्पतालों में उपलब्ध होगी और ये कहां-कहां पर स्थित हैं और ऐसे गैर-सरकारी अस्पतालों को ऐसे मामले भेजे जाने की कार्य-विधियां क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पुणे, कलकत्ता, हैदराबाद तथा दिल्ली में अनेक प्राइवेट अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को मान्यता दी है।

21.6.1996 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कर रहे या तो सरकारी अस्पतालों अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ या सरकारी अस्पताल, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में विशेषज्ञ उपचार प्राप्त करने का विकल्प है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकारी अस्पताल में पलंग की अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र देने की अब आवश्यकता नहीं है।

सेवारत कर्मचारियों के मामले में अनुमति कर्मचारी के मूल विभाग/कार्यालय द्वारा तथा पेंशनभोगियों, संसद सदस्यों, भूतपूर्व राज्यपालों आदि के मामले में अनुमति संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पैकेज डील दरों/समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित दरों तक सीमित होगी।

यदि कोई लाभार्थी उस शहर के बाहर उपचार की सुविधा पाना चाहता है जिस शहर में उसका टोकन कार्ड जारी किया गया है, तो ऐसे उपचार के लिए अनुमति शहर के निदेशक/अपर निदेशक (के०सा०स्वा०यो०) द्वारा दी जा सकती है लेकिन इसके लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि उस शहर में विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध है जिस शहर में वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति लेने पर ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

अस्पतालों का शहर-वार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 179, अनुपत्र सं० 23]**